[Extract from Haryana Government Gazette, dated the 28th December, 2010]

हरियाणा सरकार

भाण्डागार निगम

अधिसूचना

दिनांक 8 नवम्बर, 2010

संख्या हरि० भा० नि०/ई-96/ऐ-10/2010/59653.—भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 (1962 का केन्द्रीय अधिनियम 58), की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा भाण्डागार निगम के प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा सरकार की पूर्व स्वीकृति से, इसके द्वारा हरियाणा भाण्डागार निगम कर्मचारी पेंशन विनियम, 1996 में आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. यह विनियम हरियाणा भाण्डागार निगम कर्मचारी पेंशन (संशोधन) विनियम, 2010, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा भाण्डागार निगम कर्मचारी पेंशन विनियम, 1996, में विनियम 3 में, खण्ड II के बाद निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(iii) प्रथम जनवरी, 2006 को या उसके बाद सेवा ग्रहण करने वाले कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों को यथा लागू हरियाणा नई पेंशन स्कीम, 2008 द्वारा शासित होंगे।"

(हस्ता०)...

प्रबन्ध निदेशक,

हरियाणा भाण्डागार निगम, पंचकूला।

(हस्ता०)...

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव,

हरियाणा सरकार, कृषि विभाग।

47878—C.S.—H.G.P., Chd.

[Extract from Haryana Government Gazette, dated the 28th December, 2010]

HARYANA GOVERNMENT

WAREHOUSING CORPORATION

Notification

The 8th November, 2010

No. HWC/E-96/A-10/2010/59653.—In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (Central Act 58 of 1962), the Managing Director of the Haryana Warehousing Corporation with the previous sanction of the State Government, hereby makes the following regulations further to amend the Haryana Warehousing Corporation Employees Pension Regulations, 1996, namely :—

1. These regulations may be called the Haryana Warehousing Corporation Employees Pension (Amendment) Regulations, 2010.

2. In the Haryana Warehousing Corporation Employees Pension Regulations, 1996 in regulation 3, after clause (ii), the following clause, shall be substituted, namely :—

"(iii) The employees joining service on or after the 1st January, 2006, shall be governed by the Haryana New Pension Scheme, 2008, as applicable to the employees of the State Government."

(Sd.)...,
Managing Director,
Haryana Warehousing Corporation.

(Sd.)...,
Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana, Agriculture Department.

47878—C.S.—H.G.P., Chd.